राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (NIA BAJRI 01) (ML Bajri 08)/2025/ई–10015

ई–नीलामी विज्ञप्ति

निदेशालय द्वारा जारी N.I.A. (Notice Inviting Application) क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (NIA BAJRI 01)/2025/ई–10015 दिनांक 28.01.2025 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय–III नियम 12(5)(ii) के अन्तर्गत राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में खनिज बजरी के निम्नांकित आरक्षित प्लॉटों हेतु नियम 12B के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। जिसके क्रम में डोमीसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्टर्ड सोसयटियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। नियम 12B(3) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के क्रम में खनिज बजरी के खननपट्टें ई–नीलामी (e-auction) के माध्यम से आंवटित किये जाने है, जिसके लिए इच्छुक डोमीसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्टर्ड सोसयटी जिसके द्वारा N.I.A. (Notice Inviting Application) क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (NIA BAJRI 01)/2025/ई–10015 दिनांक 28.01.2025 के क्रम में आवेदन प्रस्तुत किये गये है, आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई–नीलामी में भाग ले सकती है। ई–नीलामी में भाग लेने वाली डोमीसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्टर्ड सोसयटी को आवेदन शुल्क रूपया 10,000/– तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई–नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड के enivida portal https://rajminorblocks.enivida.com को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन में)	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। (नोटः– एनेक्शर वेबसाईट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।)
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 01 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी	वासड़ा	आबूरोड़	सिरोही	86.979	352264.00	4000000	3479160	16-06-2025	17-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–1
2	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 04 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी	सांतपुर, रेवड़ाकला चन्द्रांवती,	आबूरोड़	सिरोही	68.7576	92823.00	4000000	2750320	17-06-2025	18-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–2
3	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 05 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी	सांतपुर, क्यारिया, गुणका, दुनाकाकर	आबूरोड़	सिरोही	91.0313	147471.00	4000000	3641280	18-06-2025	19-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–3

Signature valid

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.29 18:48:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15605503

4	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 06 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी,	पाडुंरी, मोरथला	देलदर, आबूरोड़	सिरोही	72.2029	194947.83	4000000	2888120	19-06-2025	20-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–4
5	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 07 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी,	किवरली, पांडूरी	देलदर	सिरोही	68.3083	230540.51	4000000	2732360	23-06-2025	24-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–5
6	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 08 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी,	किवरली, आमथला	देलदर	सिरोही	41.8454	133959.096	4000000	1673840	24-06-2025	25-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर–6

अ **<u>महत्वपूर्ण बिंदु:–</u>**

1 खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।

2 ई–नीलामी में प्रस्तुत बोली राशि 30 करोड से अधिक होने पर बिड प्रतिभूति राशि प्रस्तुत बोली राशि की 25 प्रतिशत जमा करवानी होगी।

3 आंवटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाऐं उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 14 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के लिए निर्धारित एनेक्शर पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइटwww.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटhttps://rajminorblocks.enivida.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहॉ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे है। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बावत् बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

4 ई–नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई–ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रिमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।

5 खननपट्टे का आंवटन एवं ई–ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।

6 खनन पट्टा धारक को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन हेतु जारी होने वाली पर्यावरण अनुमति के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक रिप्लेनिश्मेंट स्टडी विभागीय ऐंजेसी द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क राशि के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।

7 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटhttps://rajminorblocks.enivida.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

8 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई–नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई–नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई–नीलामी रद्द की जायेगी। ई–नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते है तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.29 18:48:04 IST
Reason: Approved

ब **<u>बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रियाः–</u>**

1 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को https://rajminorblocks.enivida.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड के enivida पोर्टल https://rajminorblocks.enivida.com पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा रेलटेल enivida के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://rajminorblocks.enivida.com पर एवं उनके किसी भी फोन में online training हेतु संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय का पता 301-302, 3rd floor, Plot no. 37, Sector-11, Dwarka, New Delhi - 110075 है व फोन न. 9355030608, 9355030614, 9355030624 व ई–मेल आई डी mines@enivida.in है।

4 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को RailTel eNivida के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 8000/– व जी.एस.टी. RailTel eNivida पोर्टल https://rajminesminorminerals.enivida.com में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रकिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड में भेजने की आवश्यकता नही है।

स **<u>ई–नीलामीं की प्रक्रिया</u>**

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर RailTel में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु **नॉन–रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/– एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा।** बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।

2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्युरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिर्जव प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी की निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडींग में भाग नहीं ले सकेगें।

6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन–शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई–मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।

9 RailTel eNivida द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई–मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहृत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।

10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त् प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत मे से बची हुई राशि जमा करनी होगी।

11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियम 14(10) अनुसार पूर्तियां निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि जमा नही करायी जाती है, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु स्वतः बढी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समयावधि में प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि जमा नही कराने पर जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये सफल बोलीदाता को आगामी पॉच वर्षों हेतु ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जावेगा।

12 उक्त प्लॉट राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.29 18:48:04 IST
Reason: Approved

द ' **<u>शासन के पत्र कमांक प.20(8)खान/ग्रुप–2/2023 पार्ट दिनांक 07–10–2023 से खनिज बजरी के खननपट्टें आंवटन की प्रकिया एवं मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगीः–</u>**

1 प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।

2 लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक–जावक रजिस्टर व वे–ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉईन्ट अलग–अलग होंगे।

3 जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे–ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्नाconfirm कराया जाना आवश्यक होगा।

4 जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्‌गम के बाद से बहाव क्षैत्र की शुरूआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे प्लॉटों में मैन्युवल माईनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।

5 लीजधारक खनिज बजरी का चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमे रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय–समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तद्नुसार चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचना की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्थल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।

6 पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।

7 खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय.समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।

8 गैर–मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काश्त या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजरी का दोहन कर सकेगा।

9 खनन पट्टा धारक गैर–मुमकिन नदी–नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जेसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय–समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।

10 खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरूद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बैंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सेंड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार किया जावेगा।

11 खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।

12 खनन पट्टा धारक द्वारा बजरी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी–नालों के वाटर लेवल से नीचे नही किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

13 खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह–जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।

14 खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजरी छोड़नी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.29 18:48:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15605503

15 नदी के दोनों किनारों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।

16 जिन स्थानों पर बजरी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।

17 नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस–पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।

18 नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई है उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।

19 प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टेधारी को मानसून अवधि में दो माह खनन कार्य खनन पट्टा क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टेधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन स्थान (ocation) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।

20 खननपट्टाधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा संख्या 11(III) तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।

21 पट्टेधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।

22 पट्टेधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सपलोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप–नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.ई.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।

23 पट्टाधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।

24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर्स का प्रत्येक एक कि0मी0 के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरूद्ध न हो।

(दीपक तंवर)
निदेशक

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (NIA BAJRI 01) (ML Bajri 08)/2025/ई–10015

प्रतिलिपि :–

1– सहायक महाप्रबंधक, मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड 301-302, 3rd floor, Plot no. 37, Sector-11, Dwarka, New Delhi - 110075 को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट https://rajminorblocks.enivida.com पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के. का. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

5– अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर।

6– अधीक्षण खनि अभियंता – जोधपुर।

7– खनि अभियन्ता, सिरोही।

8– सम्बन्धित डोमीसाईट शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्टर्ड सोसयटी द्वारा – ई–मेल ।

(दीपक तंवर)
निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.29 18:48:04 IST
Reason: Approved